उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–1737/2024/8–3099/1736/2020
लखनऊः दिनांकः 05 अगस्त, 2024

विज्ञप्ति

विषयः–उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में सदस्य (तकनीकी) के 01 रिक्त पद पर नियुक्ति।

भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष एवं तीन सदस्य (सदस्य न्यायिक, सदस्य प्रशासनिक एवं सदस्य तकनीकी) नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें, शक्तियां एवं कार्य तथा पद से हटाया जाना आदि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के अध्याय–7 एवं उत्तर प्रदेश भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के अध्याय–7 में वर्णित है।

2– भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 की धारा–46(1)(सी) के प्राविधानों के अनुसार कोई व्यक्ति अपीलीय अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उस दशा में पात्र होगा, जब–तकनीकी या प्रशासनिक सदस्य की दशा में, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो शहरी विकास, आवास, भू–सम्पदा विकास, अवसंरचना, अर्थशास्त्र, योजना विधि, वाणिज्यि, लेखांकन, उद्योग, प्रबंध, लोक मामले या प्रशासन के क्षेत्र में निपुण है और उस क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव रखता है या उसने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में भारत सरकार के अपर सचिव के समतुल्य पद या केन्द्रीय सरकार में कोई समतुल्य पद या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण किया हुआ है।

3– भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 की धारा–47(1) के प्राविधानों के अनुसार भू–संपदा अपीलीय अधिकरण का सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है उस रूप में 05 वर्ष से अनधिक अवधि तक पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। उ0प्र0 भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 की धारा–27 में प्राविधानित किये गये हैं।

4– उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण, लखनऊ में सदस्य (तकनीकी) के 01 रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए भू–सम्पदा अधिनियम में निर्धारित उक्त मानदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक योग्य व्यक्ति अपना आवेदन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा आवास बन्धु की वेबसाइट https://awas.upsdc.gov.in एवं https://www.awasbandhu.in पर प्रदर्शित लिंक पर दिनांक 07.08.2024 से दिनांक 27.08.2024 की रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑन लाईन स्वीकार किये जायेंगे। पृथक से प्रेषित किसी आवेदन पत्र/अभिलेख पर विचार नहीं किया जायेगा।

5– ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को समस्त वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियॉ तथा स्वप्रमाणित घोषणा (जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है) संलग्न करना अनिवार्य है। अपीलीय अधिकरण में सदस्य (तकनीकी) के पद की अर्हता, सेवा शर्तें, पदावधि, वेतन भत्ते आदि के संबंध में विस्तृत विवरण भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम–2016 के अध्याय–7 तथा उत्तर प्रदेश भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली–2016 के अध्याय–7 में देखा जा सकता है। उक्त अधिनियम एवं नियमावली उपर्युक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

GENERAL UO/2024-KP r